कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड प्रथम डूँगरपुर

क्रमांकः— 3369 दिनांकः— 29/9/2017

श्रीमान प्रधान मुख्य वन सरंक्षक
राजस्थान जयपुर।

विषयः— बोर का भाटड़ा लघु सिंचाई परियोजना हेतु डूब क्षेत्र के कास्तकारों को जमीन के बदले जमीन देने हेतु 6.5 हैक्टयर वनभूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के संबंध में।

उपरोक्त विषय में आप द्वारा दिनांक 11.09.2017 को भेजे गये आक्षेपों की पूर्ति कर पुनः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. बिन्दू संख्या 7 की पालना कर दी जाती है।
2. बिन्दू संख्या 8 के अन्तर्गत चूंकि समस्त 6.5 हैक्टयर भूमि केवल कृषि हेतु उपयोग में ली जावेगी। सड़क सामुदायिक सुविधाएं आदि की आवश्यकता नही रहेगी।
3. बिन्दू संख्या 9 की पालना कर दी गयी है, जहां पर रास्ते इत्यादि की अलग से कोई आवश्यकता नहीं है।
4. बिन्दू संख्या 10 की आवश्यक पालना कर दी गयी है चूंकि प्रभावित कास्तकार मौके की भौतिक स्थिति अनुसार वनक्षेत्र के किनारे ही बसे हुए तथा 6.5 हैक्टयर भूमि का प्रत्यावर्तन भी वनक्षेत्र के सीमा रेखा से लगते हुए किया गया है। परम्परागत रास्ते जो वनक्षेत्र के सीमा से लगते है उपयोग किय जा सकते है। अतः अलग से रास्ते इत्यादि की आवश्यकता नहीं रहेगी।
5. बिन्दू संख्या 11 की आवश्यक पालना कर दी गयी है।
6. बिन्दू संख्या 12 की पालना कर दी गयी है क्योंकि प्रभावित कास्तकार घोड़ियों का नाका बांध से विस्थापित है और वह अन्य जगह पर बसना नहीं चाहते है। इस हेतु जिला कलक्टर महोदय एवं विभाग के अधिकारियों एवं कास्तकारों के साथ वार्ता उपरान्त ही 6.5 हैक्टयर भूमि प्रत्यावर्तन हेतु आवेदन किया गया है। पूर्व में जिला कलक्टर महोदय द्वारा पत्र सलंग्न किया जा चूका है।
7. बिन्दू संख्या 13 की पालना कर दी गयी है जो भूमि दी गयी है वह वनक्षेत्र से लगती हुयी है।
8.

1. प्रस्तावित योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती हेतु उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार प्रस्ताव प्रकियाधिन है एवं मूल परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती पूर्व में ही पत्र कमांक एफ 3(5)441 दिनांक 18.07.2006 राशि रू. 275.03 लाख द्वारा राज्य सरकार से स्वीकृत है। जिसकी प्रति पूर्व में प्रस्तुत की जा चूकी है।
2. अनुमोदित विस्थापन योजना जिला कलक्टर महोदय डूँगरपुर के पत्र पूर्व में सलंग्न किये जा चूके है।
3. N.P.V. राशि प्रमाण पत्र सलंग्न है।
4. सलंग्न है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रकरण का नियमानुसार पुर्नपरिक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करावें।

(के.एल.रोत)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड प्रथम डूँगरपुर